मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण / विस्तार/उपयोग हेतु प्लान पर अनुमोदन के लिए आवेदन

श्रम सेवा पोर्टल : http://www.labour.mp.gov.in

(कारखाना सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल से संचालित है)

पोर्टल: https://www.mponline.gov.in/PORTAL/SERVICES/FACTORYREG/LOGIN/FRMLOGIN.ASPX

1.प्रयोज्यता	मध्यप्रदेश कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत वह अधिभोगी जिनको कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण / विस्तार/उपयोग हेतु प्लान पर अनुमोदन लेना हो|
2. आवेदन कब करें?	कारखाने के रूप में किसी भवन का निर्माण करने/उसका विस्तार करने/उपयोग करने के पूर्व।
3. आवेदन कौन कर सकता है	केवल अधिभोगी ही आवेदन कर सकते हैं | निम्नलिखित अधिभोगी की श्रेणी के लिए मान्य हैं : 1.प्रोप्रायटरशीप की दशा में- प्रोप्रायटर 2.भागीदारी फर्म होने की दशा में- कोई भी भागीदार 3.लिमिटेड कंपनी होने की दशा में-कोई भी संचालक
4. पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएँ	कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरणसम्बन्धी निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध है : ⇨ नवीन पंजीयन ⇨ पंजीयन नवीनीकरण ⇨ कारखाने के प्लान पर अनुमोदन ⇨ अनुज्ञप्ति में संशोधन
5. आवेदन कहाँ करें?	कारखाने अधिनियम सम्बंधित सभी सेवाएं एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाती है, एम.पी.ऑनलाइन के पोर्टल पर **कारखाने के प्लान पर अनुमोदन हेतु** नागरिक सेवाएं→ आवेदन → फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें a) यदि आप पूर्व से पंजीकृत है तो अपना यूजर-आईडी एवं पासवर्ड उपयोग करें - जो कि आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया था |

	वेबसाइट : Account Sign-Up(For Existing Users) **अथवा** b) New User पर क्लिक कर अपनी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें | (दर्ज मोबाइल नंबर पर यूजर-आईडी एवं पासवर्ड भेजा जायेगा) **वेबसाइट** : Register New User
6. आवेदन प्रक्रिया	पोर्टल पर बने अकाउंट से लॉग-इन् करें तथा बाएं ओर उपलब्ध विकल्पों में से नवीन पंजीकरण विकल्पों (New Registration Options) पर क्लिक कर Apply for Drawing Approval(Form-1A) चयनित करें |तत्पश्चात् फॉर्म से सम्बंधित घोषणा पत्र पर अपनी सहमति टिक लगाकर(√) सुनिश्चित करें | ऑनलाइन फॉर्म में अपेक्षित जानकारी भर आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें| तदुपरान्त पेमेंट हेतु Proceed to Payment पर क्लिक करें| पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आवेदन पोर्टल पर दर्ज हो जायेगा तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवेदन सम्बन्धी जानकारी SMS द्वारा भेजी जायेगी जिसमे एफ.ए.सी नंबर संलग्न होगा | पोर्टल पर एफ.ए.सी नंबर डाल कर भविष्य में आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है |
7. आवश्यक दस्तावेज	**दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट में स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करें :** 1. उत्पादन प्रक्रिया का फ्लो चार्ट / प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन(**PDF**फॉर्मेट) 2. नक्शा(ऑटोकैड में बनी हुई) - (अ) मध्य प्रदेश फैक्टरी नियम, 1962 के नियम 3-A के अनुसार बना हुआ साइट प्लान जो कि 1: 500 सेंटीमीटर के मान से कम में न बना हो| (ब) विभिन्न भवनों का प्लान, एलिवेशन, क्रॉस सेक्शन, जिसमें दरवाजे, खिड़कियां, वेंटिलेटर, आपात दरवाज़े, अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी विवरण शामिल हों | प्लांट एवं मशीनरी के ले-आउट सहित जो कि 1:100 सेंटीमीटर के मान से कम में न बनी हो|(**PDF**फॉर्मेट- ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से जनरेटेड) 3. विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाली रॉ मटेरियल की सूची उपयोगित मात्रा सहित |(**PDF** फॉर्मेट)
8. आवेदन की स्थिति	जमा किये हुए आवेदन की तीन स्थितियां हो सकती है : - आवेदन पर स्वीकृति **या** - आवेदन पर आपत्ति **या** - आवेदन पर अस्वीकृति (रद्द होना) उपरोक्त किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर

	SMS द्वारा सूचित किया जायेगा |
9. आवेदन शुल्क	यदि एम.पी.ऑनलाईन किओस्क सेवा का उपयोग किया जाता है तो: रू.200/- **या** यदि नागरिक स्वयं ही एम.पी.ऑनलाईन के पोर्टल के माध्यम से आवेदन दर्ज करता है : रू.120/- **या** यदि आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से जमा किया जाता है तो : रू.30/- अतिरिक्त शुल्क लोक सेवा केन्द्र द्वारा |
10. शुल्क जमा करने की विधि	सायबर ट्रेज़री के माध्यम से:- ऑनलाईन **साईबर कोषालय(Cyber Treasury)**की पोर्टल पर श्रम विभाग के अंतर्गत निर्धारित हेड में राशि जमा करें । नेट बैकिंग/ऑनलाईन से शुल्क अन्तरण करें, ट्रेज़री वेबसाईट द्वारा जनरेट चालान/रसीद को सेव कर प्रिंट लें। कृपया चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद की जानकारी ऑनलाईन फार्म में दर्ज करें। **ट्रेज़री हेड (शुल्क जमा हेतु)** **0230-00-104-0000 - Fees realized under Factory Act** **या** चालान द्वाराः- स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में जाकर ऑनलाईन फार्म में मुख्य-उप मुख्य शीर्ष एवं अन्य जानकारी दर्ज कर शुल्क जमा करें | **या** एम.पी.ऑनलाईन किओस्क पर नगद* जमा कर अथवा भुगतान प्रक्रिया के समय आवेदक स्वयं के नेट बैंकिंग/ क्रेडिट / डेबिट कार्ड उपयोग कर जमा कर सकता है | (* - एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से किये जा रहे नगद भुगतान प्रक्रिया की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी)
11.समय सीमा	आवेदन जमा(आवश्यक दस्तावेजों सहित) होने की दिनांक से 30 कार्य दिवस के अन्दर| यदि कोई कार्यवाही उक्त समय-सीमा में नहीं की जाती है तो अपील करने का प्रावधान है |
12.अपील	आवेदन पत्र अमान्य किये जाने पर अथवा आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर निम्नानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपील की जा सकेगी:- ⇨ *अपील अधिकारी:* **प्रमुख सचिव/सचिव,**

	श्रम विभाग, **मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल**
13.प्रमाणपत्र किस प्रकार प्राप्त होगा	डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त अनुमोदित प्लान जनरेट होने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा	आवेदक डिजीटल हस्ताक्षर युक्त अनुमोदित प्लान एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर अपना एफ.ए.सी नंबर तथा अकाउंट यूजरनेम पासवर्ड उपयोग कर डाउनलोड कर सकता है	
14. डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन	आवेदक यदि चाहे तो स्वयं की संतुष्टि के लिये डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी में डिजिटल हस्ताक्षर पर क्लिक करें।

ध्यान देने योग्य बातें :

- पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है अतः कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
- आवेदन करते समय सही मोबाइल नंबर भरें, यही मोबाइल नंबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड माना जाएगा तथा अग्रिम संपर्क/सूचना हेतु उपयोगी होगा|
- आवेदन करते समय आवेदक/प्रबंधक का आधार नंबरअथवा पासपोर्ट नंबर डालना अनिवार्य है|
- आवेदन के समय दिए गए **एफ.ए.सी नंबर** तथा **यूजरनेम-पासवर्ड** को आगामी सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाए|
- आवेदन में यदि आवश्यक दस्तावेज तथा जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण पायी जाती है तो आवेदनको जिला कार्यालय द्वारा आपत्ति में डाला जाएगा| आपत्ति जारी होने पर आवेदनकर्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर **SMS** द्वारा सूचित किया जाएगा|
- यदि आवेदन पर आपत्ति जारी हुई है, तो कृपया नवीन आवेदन समान त्रुटिपूर्ण जानकारी के साथ न दायर करें तथा एक बार में ही आपत्ति के कारणों का अनुपालन करें अन्यथा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है |
- प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बंधित जिला कार्यालय में संपर्क करें |
- एम.पी.ऑनलाईन किओस्क के माध्यम से आवेदन प्रेषित करने पर निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं दिया जाना चाहिये |
- औ. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबधित कार्यालय द्वारा विभिन्न कमियों को दूर करने हेतु ऑनलाइन वापस भेजा जाता है जिन्हें आपत्ति दूर करें अविलम्ब पुन: आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाइन प्रेषित करे |
- लोक सेवा गारंटी अधिनियमके तहत् आवेदक लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से भी आवेदन दर्ज कर सकते हैं, लोक सेवा केंद्र भी श्रम सेवा पोर्टल से ही आवेदन दर्ज करेंगे | पंजीयन शुल्क राशि आवेदक व्दारा बैंक चालान/सायबर ट्रेज़री रसीद के माध्यम से जमा कराकर मूल प्रति लोक सेवा केन्द्र को उपलब्ध कराएँगे (जिसे लोक सेवा केन्द्र व्दारा स्केन कर अन्य दस्तावेजों के साथ वेबसाईट पर अपलोडकिया जायेगा) अथवा लोक सेवा केन्द्र व्दारा उपरोक्तानुसार राशि आवेदक से नकद जमा कराकर आवेदक को रसीद जारी की जायेगी।
- लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में लोक सेवा केन्द्र द्वारा अतिरिक्त 30/-रूपये प्रति आवेदन पत्र सेवा शुल्क लिया जायेगा।
- एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क या लोक सेवा केन्द्र की फीस जमा किये बिना प्रक्रिया उस चरण से आगें नहीं बढ़ेगी । यह लाइसेंस फीस से पहले अलग से जमा करना होगा।